UPBJ010030382024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 604/2024

सरकार **बनाम** **मोन्टी आदि**

आरोप

मै अवधेश कुमार प्रथम, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **मोन्टी, सत्यम व सागर** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 02–08–2024 को समय 09:30 बजे प्रातः स्थान ग्राम तिसोतरा सती माता के पास थाना नांगल जिला बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को लाठी–डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को जान से मारने की नीयत से लाठी–डंडो व तलवार से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुॅचायी, यदि उक्त चोटो से वादी के पुत्र की मत्यु हो जाती तो आप के आरोप के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **307/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4 – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आप **सागर व सत्यम** ने वादी मुकदमा विरेन्द्र के पुत्र को लाठी–डंडो व तलवार से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुॅचायी, जाति सूचक गन्दी–2 गालियॉ

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2024.03.15 16:35:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा जानसे मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (2) 5** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि दिनांक 13–01–2024 को समय 11:00 बजे स्थान ग्राम सलेमपुर भटटा थाना नांगल जिला बिजनौर में आप **सत्यम** की निशानदेही पर घर के कमरे में रखे संदूक के नीचे से पुलिस द्वारा बरामद किया गया जिसे रखने का आपके पास कोई वैद्य लायसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **25 (1–बी) वी** आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 15–03–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 15–03–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

UPBJ010030382024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 604/2024

सरकार बनाम मोन्टी आदि

15–03–2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **मोन्टी, सत्यम व सागर** जिला कारागार बिजनौर से अभिरक्षा में मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त मोन्टी के विरूद्व धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0दं0सं0, अभियुक्त सागर के विरूद्व धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्त सत्यम के विरूद्व धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं धारा 25 (1–बी) वी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 15–03–2024 (अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट

बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त मोन्टी के विरूद्व धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0दं0सं0, अभियुक्त सागर के विरूद्व धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्त सत्यम के विरूद्व धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं धारा 25 (1–बी) वी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 29–03–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 15–03–2024 (अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट

बिजनौर।